न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट चौमूँ, जिला जयपुर

मु.न. 131/2019

उनवान

1. कालू पुत्र जोधा, जाति माली, निवासी विजयसिंहपुरा तहसील चौमूं जिला जयपुर।

वादी

बनाम

1. छोटू पुत्र रामू उम्र करीब 50 वर्ष, जाति माली, निवासी विजयसिंहपुरा, तहसील चौमूं जिला जयपुर।
2. तहसीलदार महोदय चौमूं, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत् घोषणा दुरूस्थी अन्तर्गत धारा 88, 89 आर0टी0एक्ट 1955

निर्णय दिनांक :– 01.10.2020

पत्रावली पेश हुई। वादी ने वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम कुशलपुरा तहसील चौमूं के पुराने खसरा नम्बर 140 रकबा 3 बीघा 9 बिस्वा के बने हाल खसरा नम्बर 193 रकबा 0.43 है0, खसरा नम्बर 210/1246 रकबा 0.15 है0, खसरा नम्बर 191 रकबा 0.01 है0, स्थित हैं, जिसमें से खसरा नम्बर 193 रकबा 0.43 है0, खसरा नम्बर 210/1246 रकबा 0.15 है0 ही इस वाद में विवादग्रस्त हैं। वादी अनपढ काश्तकार पेशा व्यक्ति हैं जिसके द्वारा विवादित भूमि साबिक खसरा नम्बर 140 से बने हाल खसरा नम्बर 193 रकबा 0.43 है0, खसरा नम्बर 210/1246 रकबा 0.15 है0 ग्राम कुशलपुरा के रिकार्डेड खातेदार प्रतिवादी संख्या 1 से अपने भाग 1/16 में से जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांकित 04.07.1997 को 273.33 वर्गगज भूमि क्रय की थी, जिस खरीदशुदा भूमि का नामान्तकरण संख्या 87 दिनांकित 08.08.01 को वादी के नाम तस्दीक करते समय पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 04.07.1997 में अंकित क्रय शुदा भूमि हिस्सा 458/11600 से कम हिस्सा 229/5800 दर हिस्सा 1/16 भाग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम विक्रय करने के पश्चात शेष बचे हिस्से से ज्यादा हिस्सा 5571/5800 दर हिस्सा 1/16 भाग बदस्तुर रखते हुए नामान्तकरण गलत रूप से तस्दीक कर दिया गया वादी रिकार्डेड खातेदार दर्ज हैं, तथा विक्रय पत्र में दर्ज खरीदशुदा हिस्से पर काबिज हैं, लेकिन राजस्व रिकार्ड में हिस्सा कम दर्ज अंकित हो गया हैं, जिसकी वादी को हाल ही मे जानकारी होने पर वादी ने ऐ आवेदन दुरूस्ती बाबत दिनांक 13.05.2019 को तहसीलदार चौमूं को प्रस्तुत किया जिस पर पटवारी हल्का से रिपोर्ट प्राप्त किये जाने पर तहसीलदार चौमूं द्वारा सक्षम न्यायालय के समक्ष चाराजोही करने को कहने पर वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ हैं।

वादी को अधिकार हासिल हैं कि वह विवादित भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के कुल हिस्से में से जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांकित 04.07.97 में अंकित खरीदशुदा 458/11600 हिस्सेनुसार गुणनफल करते हुए वादी का हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा 267/11600 घोषित करवाते हुये, रिकार्ड दुरूस्त करवाये जो हिस्सा नामान्तकरण तस्दीक करते समय हुई भूल से गलत अंकित हो गया है, उक्त नामान्तकरण संख्या 87 दिनांकित 08.08.2001 को नल एण्ड वॉइड घोषित करवाये, जिसके अभाव में वादी के साथ गम्भीर अन्याय होगा।

अतः वादी का वाद मय शपथ पत्र दो प्रतियो में प्रस्तुत हैं जो विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर निम्न अनुतोष प्रदान करे:–

वादग्रस्त भूमि हाल खसरा नम्बर [illegible] 0.43 है0, खसरा नम्बर 210/1246 रकबा 0.15 है0, स्थित है जिसमें वादी का रिकार्ड में दर्ज [illegible] के स्थान पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Surana
Date: 2020.10.12 10:48:55 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

458/11600 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 का 267/11600 हिस्सा घोषित किया जाकर उक्त नामान्तकरण संख्या 87 दिनांकित 08.08.2001 को नल एण्ड वॉइड घोषित करवाये तदनुसार रिकार्ड दुरूस्त किये जाने का आदेश फरमाये।

पत्रावली पेश हुई। दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण की तलबी की गई। पत्रावली में वादी एवं प्रतिवादगण द्वारा अन्तर्गत आदेश 23 नियम 3 सी0पी0सी का दिनांक 27.08.2020 को राजीनाम दरा आशय का पेश किया कि :-

प्रकरण में प्रश्नगत पुराने खसरा नम्बर 140 रकबा 3 बीघा 9 बिस्वा के बने हाल खसरा नम्बर 193 रकबा 0.43 है0, खसरा नम्बर 210/1246 रकबा 0.15 है0 ग्राम कुशलपुरा में स्थित हैं, जिसमें से प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांकित 04.07.1997 को 273.33 वर्गगज भूमि वादी को विक्रय किया जाना स्वीकार कर, उक्त विक्रय पत्र की अनुपालना में प्रतिवादी संख्या एक के नाम नामान्तकरण संख्या 87 दिनांकित 08.08.01 को तस्दीक करते समय क्रयशुदा हिस्सा 458/11600 से कम हिस्सा त्रुटिवश 229/5800 हिस्सा दर हिस्सा 1/16 भाग एवं प्रतिवादी संख्या एक के नाम विक्रय पत्र दिनांक 04.07.97 के पश्चात् शेष बचे हिस्से से ज्यादा हिस्सा 5571/5800 दर हिस्सा 1/16 भाग गलत रूपव से अंकन होना प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा स्वीकार कर वाद पत्र में वर्णित भूमि ग्राम कुशलपुरा के हाल खसरा नम्बर 193 रकबा 0.43 है. के राजस्व रिकार्ड में दर्ज वादी कालू पुत्र जोधा हिस्सा 11/4300 के स्थान पर 170/4300 भाग का एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 छोटू पुत्र रामू के नाम अंकित हिस्सा 3/50 के स्थान पर 99/4300 भाग का तथा खसरा नम्बर 210/1246 रकबा 0.15 है0 के वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी कालू पुत्र जोधा हिस्सा 1/500 के स्थान पर 236/6000 भाग का व प्रतिवादी संख्या 1 छोटू पुत्र रामू के दर्ज हिस्सा 121/2000 के स्थान पर 139/6000 हिस्से के खातेदार घोषित कर नामान्तकरण संख्या 87 दिनांकित 8.08.01 ग्राम कुशलपुरा को नल एण्ड वोईड घोषित कर हाल राजस्व रिकार्ड में उक्तानुसार दुरूस्थी करने पर सहमत होकर राजीनामा अनुसार वाद पत्र डिक्री करने पर सहमत है। शेष हिस्सा बदस्तुर रहेगा। खर्चा पक्षकारान् अपना अपना वहन करेंगे।

पत्रावली एवं दस्तावेजात्, राजीनामे का अवलोकन किया गया। बहस उभयपक्षकारान की सुनी गई । प्रकरण में तथ्य एवं परिस्थितियों अनुसार मुताबिक राजीनामा वादपत्र उक्त त्रुटि को दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

अतः वादी का वाद राजीनाम वादपत्र अनुसार डिक्री किया जाता हैं तथा ग्राम कुशलपुरा के हाल खसरा नम्बर 193 रकबा 0.43 है. के राजस्व रिकार्ड में दर्ज वादी कालू पुत्र जोधा हिस्सा 11/4300 के स्थान पर 170/4300 भाग का एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 छोटू पुत्र रामू के नाम अंकित हिस्सा 3/50 के स्थान पर 99/4300 भाग का तथा खसरा नम्बर 210/1246 रकबा 0.15 है0 के वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी कालू पुत्र जोधा हिस्सा 1/500 के स्थान पर 236/6000 भाग का व प्रतिवादी संख्या 1 छोटू पुत्र रामू के दर्ज हिस्सा 121/2000 के स्थान पर 139/6000 हिस्से के खातेदार घोषित कर नामान्तकरण संख्या 87 दिनांकित 08.08.2001 ग्राम कुशलपुरा को नल एण्ड वोईड घोषित कर हाल राजस्व रिकार्ड में उक्तानुसार दुरूस्थी करने के आदेश दिये जाते है। शेष हिस्सा बदस्तुर रहेगा। राजीनाम दिनांक 27.08.2020 को निर्णय का अभिन्न अंग समझा जावें। डिक्री जारी हों। डिकी की प्रति तहसीलदार चौमूं को पालनार्थ प्रेषित हों।

निर्णय आज दिनांक 04.09.2020 को खुले न्यायालय मे मेरे द्वारा सुनाया गया।

(अभिषेक सुराणा)
अधिकारी
चौमूं (जयपुर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Abhishek Surana
Date: 2020.10.12 10:48:55 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट चौमूं, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :- अभिषेक सुराणा (I.A.S)

उनवान

1. कालू पुत्र जोधा, जाति माली, निवासी विजयसिंहपुरा तहसील चौमूं जिला जयपुर।

वादी

बनाम

1. छोटू पुत्र रामू उम्र करीब 50 वर्ष, जाति माली, निवासी विजयसिंहपुरा, तहसील चौमूं जिला जयपुर।
2. तहसीलदार महोदय चौमूं, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

वाद बाबत् दुरूस्थी अन्तर्गत धारा 89 राज0 काश्त0 अधि0

मुकदमा नम्बर :- 131/2019

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू वादी मिन जामिन मुददई रूबरू अभिषेक सुराणा आईएएस मिनजामिन मुददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादी का वाद राजीनाम वादपत्र अनुसार डिक्री किया जाता हैं तथा ग्राम कुशलपुरा के हाल खसरा नम्बर 193 रकबा 0.43 है. के राजस्व रिकार्ड में दर्ज वादी कालू पुत्र जोधा हिस्सा 11/4300 के स्थान पर 170/4300 भाग का एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 छोटू पुत्र रामू के नाम अंकित हिस्सा 3/50 के स्थान पर 99/4300 भाग का तथा खसरा नम्बर 210/1246 रकबा 0.15 है0 के वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी कालू पुत्र जोधा हिस्सा 1/500 के स्थान पर 236/6000 भाग का व प्रतिवादी संख्या 1 छोटू पुत्र रामू के दर्ज हिस्सा 121/2000 के स्थान पर 139/6000 हिस्से के खातेदार घोषित कर नामान्तकरण संख्या 87 दिनांकित 8.08.01 ग्राम कुशलपुरा को नल एण्ड वोईड घोषित कर हाल राजस्व रिकार्ड में उक्तानुसार दुरूस्थी करने के आदेश दिये जाते है। शेष हिस्सा बदस्तुर रहेगा। राजीनाम दिनांक 27.08.2020 को डिक्री का अभिन्न अंग समझा जावें। डिकी की प्रति तहसीलदार चौमूं को पालनार्थ प्रेषित हों।

बसरत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत के आज तारीख 04.9.2020 को खुले न्यायालय में जारी किया गया।

मोहर

(अभिषेक सुराणा)
उपखण्ड अधिकारी
चौमूं (जयपुर)

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुदाईला	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2		स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा	1		स्टाम्प वकालतनामा	2	
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फीसकमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान	3		मीजान	2	

Signature Not Verified

Digitally signed by Abhishek Surana
Date: 2020.10.12 10:48:55 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner